कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713551 फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 26/XXV– 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 02 जनवरी, 2024

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाड़पुर रिंग रोड, देहरादून

विषयः– **अपील संख्या–38824/ 2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड में प्राप्त नोटिस के अनुपालन में प्रत्युत्तर का प्रेषण।**

महोदय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या–38824/2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून में निर्गत नोटिस दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा उक्त अपील पर सुनवाई की तारीख 08.01.2024 समय 11:15 बजे नियत की गयी है। मा0 आयोग द्वारा अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना–पत्र पर बिन्दुवार लिखित उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लिखित प्रतियुत्तर निम्नवत प्रेषित की जा रही हैः–

अः अपील पर बिन्दुवार लिखित उत्तर	1– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–**565/XXV-53** दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र कार्यालय अन्य विभाग/कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण अन्तरित की गयी है **(छायाप्रति संलग्न)** 2–इस कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या–573 दिनांक दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क रू0 244.00 की सूचना सामग्री तैयार किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रार्थना–पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष गूगल मीट ऑनलाईन के माध्यम से उपस्थित हुए। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संख्या–903 दिनांक 17जून, 2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना विभागीय वेबसाईट ceo. uk. gov.in पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत कराया गया है।
बः पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा	पत्रावली संख्या– XXV–53 (P-14)/2021 में व्यवहृत है।
सः निर्धारित विभागीय अपील पंजिका	अपील पंजिका के पृष्ठ संख्या–08 के कमांक 22 में दर्ज है
नः नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य	संलग्न प्रारूप–ख

मा0 आयोग के नोटिस में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में यह भी अवगत कराना है कि अनुरोधकर्ता की प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत अपील के कम में आदेश संख्या–903 दिनांक 17 जून, 2023 द्वारा निस्तारण किया गया, तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध करायी गयी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पोशणीय न होने के कारण निरस्त करने योग्य है। मा0 आयोग से सादर अनुरोध है कि अपीलकर्ता की अपील खारिज करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

:: प्रारूप–ख ::

1	प्रथम अपील / विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	**दिनांक–23 अप्रैल, 2023**
2.	प्रथम अपील / विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	**दिनांक–10 मई, 2023(आनलाईन गूगल मीट के माध्यम से)**
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किये जाने का पत्रांक व दिनांक	**नोटिस संख्या–662 दिनांक 04 मई 2023**
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	**इमेल**
5.	प्रथम अपील / विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलीय और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	**आदेश संख्या–903 / XXV–(53–14) 2021 दिनांक 17 जून 2023**
6.	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नही किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	**समय अन्दर निस्तारण किया गया है**
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियो के द्वारा किया गया है तो संबधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	**एक ही अपीलीय अधिकारी**

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर.............

नाम– श्री मस्तू दास
पदनाम–प्रथम अपीलीय अधिकारी /
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।
दूरभाष / फैक्स न0 / मो0न0– 0135–2713551
ई–मेलआई0डी0– election09@gmail.com

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713551 फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 25/XXV– 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 02 जनवरी, 2024

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाड़पुर रिंग रोड, देहरादून।

विषयः– अपील संख्या–38824/2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उतराखण्ड में प्राप्त नोटिस के अनुपालन में प्रत्युत्तर का प्रेषण।

महोदय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या–38824/2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी विभीगीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून में निर्गत नोटिस दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा उक्त अपील पर सुनवाई की तारीख 08.01.2024 समय 11:15 बजे नियत की गयी है। मा0 आयोग द्वारा अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना–पत्र पर बिन्दुवार लिखित उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लिखित प्रतियुत्तर निम्नवत प्रेषित की जा रही हैः–

अः अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर–	1–लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–**565/XXV-53** दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र कार्यालय अन्य विभाग/कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण अन्तरित की गयी है **(छायाप्रति संलग्न)** 2–इस कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या–573 दिनांक दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क मु0–244 की सूचना सामग्री तैयार किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रार्थना–पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को प्रथम अपील, विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संख्या–903 दिनांक 17जून,2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा के पत्र संख्या–945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना विभागीय वेबसाईट ceo. uk. gov.in पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत कराया गया है।
बः पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा	पत्रावली संख्या– XXV–53 (P14)/2021 में व्यवहृत है।
सः लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका	अनुरोध के पंजीकरण हेतु पंजिका के पृष्ठ संख्या–57 क्रमांक–211 (फोटो प्रति संलग्न) पंजिका निर्धारित तिथि को मा0 आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।
दः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गए सूचना की प्रतियाँ	लो0सू0अधिकारी के पत्र संख्या–**573/XXV-53** दिनांक 11 अप्रैल 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी, आवेदक द्वारा शुल्क उपलब्ध नही करायी गयी।
धः विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति	आदेश संख्या–903 दिनांक 17 जून, 2023 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
नः नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य	मा0 आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप–क, के अनुसार सूचना तैयार कर, समस्त सूचनाओं की प्रति सादर सेवा में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

मा0 आयोग के समक्ष मैं लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड स्वंय उपस्थित हूँ।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रारूप – क –

1	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	दिनांक–03.04.2023
2	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	पंजिका के पृष्ठ संख्या–57, कमांक–211
3	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	26 बिन्दु
4	यदि मांगी गयी सूचना से संबधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब– 1.अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता 2. अंतरित बिन्दु 3. पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है	—
5	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबधित है तब– 1. संबधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है 2. जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता 3. जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया 4. पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	हाँ 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली । 2.समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड। 3–लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय पत्र संख्या– 565/XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 द्वारा हस्तान्तरित स्पीड पोस्ट एवं ईमेल दिनांक 13 अपैल 2023
6	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब– 1.अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई 2. कुल मांगी गयी धनराशि 3. अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया 4. अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि 5. अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	हां पत्र संख्या–573 XXV-53 दिनांक 13 अप्रैल 2023 244.00(दो सौ चवालिस रूपये) स्पीड पोस्ट — शुल्क उपलब्ध नहीं करवाया गया है।
7	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब– 1. तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक 2. तृतीय पक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि 3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	नहीं
8	आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया गया है,	पत्र संख्या–945- दिनांक 23.06.2023
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नही किया गया, जिस कारण सूचना उपलब्ध नही करायी गयी।
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबधित लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	—

विभागीय लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर......B. S. Rawat

नाम–श्री बसन्त सिंह रावत,
पदनाम–लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी.
पता–कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड देहरादून।
दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0– 0135–2713552
ई–मेल आई0डी0.....election09@gmail.com

प्राप्त - 07/11/2023
Time - 2:35 PM

पंजीकृत / दस्ती / संशोधित

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकर भवन, लाड़पुर, रिंग रोड़, देहरादून

दूरभाष- 0135-2662021, 0135-2662180, ईमेल- secy-uic@gov.in

अपील संख्या: 38824

अपील अंतर्गत धारा: 19 (3) सू० का० अधि० अधिनियम 2005

अपीलकर्ता: श्री समीर सरदाना, / निवासी डी -113, सेक्टर -04, डिफेन्स कॉलोनी देहरादून,

बनाम

प्रत्युत्तरदाता

1: लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा, भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून /

2 विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर देहरादून,

नोटिस

अपीलकर्ता श्री समीर सरदाना, के द्वारा प्रेषित अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 07-10-2023 आयोग में दिनांक 09-10-2023 को प्राप्त हुआ है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवायी हेतु विचार करने के उद्देश्य से **दिनांक 08-01-2024 की तिथि नियत की गयी है। अपील की सुनवायी आयोग के कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11:15 AM बजे से** की जाएगी।

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के अंतर्गत प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार **प्रत्युत्तरदाताओं** को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को पंजीकृत डाक से / विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रत्युत्तरदाताओं को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **दिनांक 08-01-2024 को सुनवायी के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें।** प्रत्युत्तरदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेंडम के सापेक्ष निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि जो विभाग के राजपत्रित / वरिष्ठ अधिकारी हों उपस्थित** रहें।

लोक सूचना अधिकारी

- अ: अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थनापत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर (**सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्रेषित करें**)
- ब: पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से सम्बंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा
- स: लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
- द: लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गए सूचना की प्रतियाँ
- ध: विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
- न: **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

विभागीय अपीलीय अधिकारी

- अ: अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर (**सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्रेषित करें**)
- ब: पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से सम्बंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत की गयी हो तथा
- स: निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
- द: **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

आयोग की ओर से

(रज़ा अब्बास)
उप सचिव

संख्या 8573 /उ०सू०आ०/अपील/2023-24 /(CIC) दिनांक 06.11.23

प्रतिलिपि

1: लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा, भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून /

.2 विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर देहरादून,

2:अपीलकर्ता श्री समीर सरदाना, / निवासी डी -113, सेक्टर -04, डिफेन्स कॉलोनी देहरादून, को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु

3. **विभागीय पत्रावली**

(रज़ा अब्बास)

—:आवश्यक निर्देश:—

- आयोग के अंतरिम आदेशों की प्रतियां डाक द्वारा या अन्य माध्यम से आयोग के द्वारा प्रेषित नही की जाएंगी। आयोग के अंतरिम आदेश/आदेश आयोग की वेबसाईट UIC.UK.gov.in से डाउन लोड किए जा सकते है। डाउन लोड की सरल प्रकिया आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। किसी भी असुविधा के लिए आयोग के फोन नम्बर 0135-2662021, 2662180 या ई—मेल आई.डी. secy-uic@gov.in पर भी श्री राजेश नैथानी से सम्पर्क किया जा सकता है।

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग के द्वारा यदि किसी लोक प्राधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों से कोई पृच्छा की गयी हो, तभी आयोग को पत्राचार किया जाए और ऐसे समस्त पत्राचार मा0 मुख्य सूचना आयुक्त या सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पदनाम से सम्बोधित कर किये जाएं। किसी भी द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई के संदर्भ में अथवा अंतिम आदेश की अनुपालन आख्या या अनुपालन में, किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार मा0 राज्य सूचना आयुक्त, जिनके द्वारा सुनवाई की गयी है, को नहीं किया जाएगा । किसी पदाधिकारी को या किसी व्यक्ति को किये गये आंतरिक पत्राचार की प्रतिलिपि मा0 मुख्या सूचना आयुक्त, मा0. राज्य सूचना आयुक्त या सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग को न किया जाए। किसी मामलों में कोई कार्यवाही करने की आख्या या आयोग के आदेशों की अनुपालन आख्या मा0 मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयाग को सम्बोधित करते हुए प्रेषित कि जाएं। ऐसे पत्राचार मे अपने पदनाम के साथ—साथ अपना नाम व दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ई0मेल आई.डी. का अवश्य उल्लैख करें ।

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्र/अपीलीय पत्र पर किये जाने वाले समस्त पत्राचार में सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी /विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने पद नाम के साथ—साथ अपना नाम व दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ई0मेल आई.डी. का अवश्य उल्लेख करे ।।

....

द्वितीय अपील के सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे

(प्रारूप-"क")

1.	सूचना के लिये अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का कमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है।	
3.	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	
4.	यदि मांगी गयी सूचना से सबधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब- (क) अतरितकर्ता का नाम, पदनाम पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दू (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है।	
5.	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब- (क) संबंधित बिन्दू जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम व पूर्णपता (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	
6.	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तब- (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मागी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया । (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त की तिथि व धनराशि (ड.) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब- (क) तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक (ख) तृतीय पक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराये जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	
8.	आवेदक को सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक पत्र जिस माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया गया	
9.	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नही की गयी है तब प्रेषित न किये जाने का औचित्यपूर्ण कारण	
10.	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय अपील सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर.................

नाम.................

पदनाम.................

पूर्ण पता.................

दूरभाष/फैक्स नं0/मो0नं0.................

ई-मेल आई.डी.................

नोट-उपरोक्त विवरण का साक्ष्य की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किए जाएं। साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने पर उपरोक्त विवरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(28)

IN THE UTTARAKHAND STATE INFORMATION COMMISSION - FOR 2ND APPEAL U/S 19 OF THE RTI ACT,2005

Uttarakhand Information Commission,RTI Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road,

Ladpur, Dehradun 248008, India

2ND APPEAL U/S 19 OF THE RTI ACT,2005 UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT,2005

संख्या 11294
09 OCT 2023
देहरादून

Mr.Samir Sardana
D-113,Sector 4,Defense Colony
Dehradun,
Uttarakhand – 248001 .... Appellant

Vs

THE PIO

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
ई-मेल से प्राप्त
दिनांक 09/10/23
पत्रांक ....

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

.... **Respondent No.1**

THE FAA

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

.... **Respondent No.2**

INDEX OF DOCUMENTS			
S.No.	**Description of Documents**	**Page No.s**	**Remarks**
1	2ND APPEALMemo with Verification	1 to 14	
2	RTI APPLICATION	15 to 17	
3	PIO REPLY	18 - 116	
4	1ST APPEAL	117-127	
5	FAA ORDER	128-170	

Memo of 2ND APPEAL u/s 19 of the RTI Act,2005

1.Section A

1.1. This is the "**2nd Appeal**" being filed by the Appellant u/s **19** of the RTI Act,2005, W.R.T. ILLEGALREJECTION OF INFORMATION AND INOMOMPLETE FAA ORDER

1.2. The **Index of Documents**, attached with this 2ND APPEAL, re provided

below:

RTI APPLICATION

PIO REPLY

1ST APPEAL

FAA ORDER

1..3.The Information Sought from the PIO is listed in the RTI Application and the 1st Appeal

2.Section B

2.1. Some of the details required in the **Appeal, as stated in the Rules ,of the Central Information Commission** (Appeal Procedure) Rules,2005, vide DOPT Notification No.F.No. 1/4/2005-IR,dated the 28th of October,2005,are stated below:

(i) name and address of the Appeal

Mr.Samir

SardanaD-

113,Sector 4

Defense Colony

Dehradun

Uttarakhand – 248001

(ii) name and address of the Public Information Officer and FAA against whose decision the Appeal is preferred

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

.... **Respondent No.1**

THE FAA

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

.... Respondent No.2

(iii) particulars of the order including number, if any, against which the 2ND APPEALis preferred

- **PIO REPLY ARE MORE THAN 40 IN NUMBER**

2.2. Chronology of events

2.2.1. The Chronology of the events, is stated as under:

- **PIO Reply ARE MORE THAN 40 FROM APRIL TO JUNE 2023**
- **1ST APPEAL DATE IS APRIL 22,2023**

2.3. Critical Facts

- **THE ORDER HAS NOT PROVIDED THE INFORMATION SOUGHT**

2.4. Importance of information sought

2.4.1. The Information sought by the RTI Applicant is **of "vital importance" to the Appellant and inPublic Interest**

- **IT BRINGS TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY,INTO THE OPERATIONS OFTHE UTTARAKHAND GOVTT AND THE ELECTION COMMISSION**

3. Section C

(vi) relief sought

3.1. This Appeal is being filed to obtain the following reliefs, as under:

- **PROVIDE ALL THE INFORMATION SOUGHT BY THE APPLICANT**
- **IMPOSE PENALTY ON PIO FOR FALSE REPLY AND ILLEGAL REJECTION**

4.Section D

(vii) grounds for the prayer or relief;

4.1. The **Grounds for Relief** against the PIO, are summarized , as under:

Ground of PIO – No.1

- **THE PIO HAS MADE AN ILLEGAL REJECTION**

5.Section E

(vii) grounds for the prayer or relief;

5.1. The **Grounds for Relief** against the FAA, are THAT HE HAS PASSED ORDERS, AND STILL NOT GIVEN DATA AND IGNORED PUBLIC INTEREST

5.Section F

Public Interest .

6.1. THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC AND NATIONAL INTEREST, AS THE MATTER IS OF PUBLIC IMPORTANCE AND RELATES TO CORRUPTION AND TRANSPARENCY

7. Section F - Grounds of the APPEAL

7.1. The actions of the PIO are **patently and blatantly illegal and malafide with intent to cheat anddefraud the Appellant, besides reflecting the animus and bias,** against the Complainant - and the Grounds of Appeal are listed below:

7.2. The SIX **(6)** **Grounds of Appeal, are** given below:

- **Ground of Appeal No.1 – The PIO HAS MADE A ILLEGAL REJECTION**
- **Ground of Appeal No.2- THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC INTEREST**
- **Ground of Appeal No.3- PIO is not equipped to execute a Rights based welfare enactment**
- **Ground of Appeal No.4- VIDHN SABHA is not exempted from standards of oversight,transparency andaccountability**
- **Ground of Appeal No.5- ELECTION COMMISSION IS CLEARLY LIABLE FOR PENALTY U/S 20(1) OF THE RTI ACT**

7.2.1. **Ground of Appeal No.1 – The PIO HAS MADE A ILLEGAL REJECTION**

PIO HAS MADE AN ILLEGAL AND SENSELESS REJECTION AS DETAILED IN THE 1ST APPEAL,WHICH IS CLEARLY MALAFIDE AND MALICIOUS,INSPITE OF LETTERS SENT TO THE PIO

PIO REPLIES FROM LOCAL REGIONS AND PANCHYATS

Inbox

Sun, Apr 30, 2023 at 6:07 PM

sam thedivine
<samthedivine@gmail.com>
To: ceo_uttaranchal@eci.gov.in, CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

SIR

I HAVE RECEIVED THE FOLLOWING REPLOIES FROM THE LOCAL REGIONS

Letter ref.no. 74,dated the 25th of April,2023,Rs 22660,Section 4 (3,4) and Vote results (2),Vikas Khand Dhugadda
Letter ref.no. 12/21-12/2005,dated the 25th of April,2023,Rs 740,Section 4 (3,4),Chamoli
Letter ref.66,dated the 21st of April,2023,Section 4 (3,4) and Vote results (2),Voter Deletions (3 and 4),Nainidanda -Fees Rs 40212
Letter ref.366/29-22/2023,dated the 20th of April,2023,RUPP 168 pages,Haridwar
Letter ref.58-2005/2023-24,dated the 24th of April,2023,Rs15872 (no details) pages,Thauldhar
Letter ref.74/1/2022-23,dated the 25th of April,2023,Rs 40148 (no details) pages,Dwarikhal
Letter ref.11/2023-24,dated the 19th of April,2023,2856 (no details) pages,Pauri Garhwal
Letter ref.03/2022,dated the 20th of April,2023,3600 (Section 4 pt 3.4) pages,Tehri Garhwal
Letter ref.429/25-10/2023,dated the 18th of April,2023,501 PAGES RUPP,573 pages SECTION 4,DEHRADUN

THE PROBLEM

THE ABOVE REPLIES D**O NOT STATE**,THE NAME OF THE APPELLATE AUTHORITY,AND THE ADDRESS OF THE APPELLATE AUTHORITY.

IN ADDITION, THE **REPLIES APPEAR WRONG**.AS AN EXAMPLE,I SOUGHT THE FOLLOWING INFORMATION

Section 4

- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls

I SEEK JUST THE **NAME OF THE WINNING CANDIDATE,ASSETS,LIABILITIES,AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS. I DO NOT SEEK THE DETAILS OF ASSETS OR COPIES**
OF DEGREES.WHAT IS THE CEO GIVING ME ?

SIMILARLY,I SEEK THE **AGGREGATE EXPENSES** OF THE WINNING CANDIDATES AND **NOT THE EXPENSES DETAILS.WHAT IS THE PIO GIVING ME** ? IN **NOT A SINGLE CASE,**
HAS THE PIO GIVEN ME THE NUMBER OF PAGES OF THE ELECTION AFFIDAVITS

FURTHER THE **PIO OF PAURI AND DWARIKHAL HAVE PROVIDED NO DETAILS**,AS TO WHAT INFORMATION THE FEES IS FOR

3 PIOS HAVE ASKED ME FOR 3 DIFFERENT FEES FOR RUPP.HOW CAN THERE BE 3 DIFFERENT RUPP LISTS IN 1 STATE

KINDLY REVERT ON THE ABOVE

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113,Sector4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

LETTER REF/600/XXV-53(P-14)/2021,DATED 19TH APRIL 2023

Inbox

sam thedivine
<samthedivine@gmail.com>
To: CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

Thu, Apr 27, 2023 at 10:4_ AM

MR BASANT SINGH RAWAT

SIR

YOU HAVE SENT 1 PAGE LETTER STATING THAT THE INFORMATION IN THE APPLICATION IS ON THE CEO PORTAL

KINDLY STATE WHICH LINK HAS THE SAID INFORMATION SOUGHT

IN MY VIEW NOT EVEN 1 PIECE OF INFORMATION IS ON THE WEBSITE OF CEO - BUT OTHER STATES HAVE THE SAID INFORMATION

KINDLY REVERT AT THE SOONEST

SAMIR SARDANA

ayment

Inbox

CEO Uttarakhand
<election09@gmail.com>

Thu, Apr 13, 2023 at 12:46 AM

Why is this message in Spam? It's similar to messages that were detected by our spam filters.

To: samthedivine@gmail.com
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

Respected sir,

plz find the attachment,

o/o ceouk

573.PDF
134K View as HTML Download

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

sam thedivine
samthedivine@gmail.com>
o: election09@gmail.com
ply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

Thu, Apr 13, 2023 at 12:51 AM

R

ANK YOU FOR YOUR PROMPT RESPONSE.WHAT ABOUT THE FOLLOWING INFORMATION ? WHEN WILL YOU PROVIDE E SAME.KINDLY PROVIDE THE REPLY IN A DAY AS IN THE RTI ACT,THERE IS NO CONCEPT OF PARTIAL REPLY OR RTIAL FEES. KINDLY REPLY ASAP

tion 4

- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls

Inspection

- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

Voter Deletions

- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Panchayat Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls

Antecedents

- PIO to state the names of the candidates with criminal antecedents (with addresses and parties), in the last 2 Lok and Rajya Sabha Polls

AUDIT

- PIO TO STATE IF ANY IT AUDIT HAS BEEN DONE,OF THE VOTER LIST,AND VOTER I CARD SYSTEM,IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT,NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

AUDIT REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY REGISTERED POLITCAL PARTIES

CONTRIBUTION REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR CONTRIBUTION REPORTS ,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE CONTRIBUTION REPORTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY POLITCAL PARTIES

SAMIR SARDANA

- Show quoted text -

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

sam thedivine
<samthedivine@gmail.com> Thu, Apr 13, 2023 at 12:58 AM

To: election09@gmail.com

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

SIR

I HAVE SEEN YOUR FEE LETTER,I WOULD SUBMIT THAT VOTER RESULTS,UNRECOGNISED POLITICAL PARTIES DATA IS TO BE GIVEN FREE OF COST UNDER SECTION 4

OTHER CEO OF OTHER STATES GIVE IT FREE OF COST .WHY DO YOU NOT DO IT ?

EVEN AFFIDAVITS ARE ONLINE - BUT NOT IN CEO UTTARAKHAND . WHY IS THAT THE CASE ?

DELIMITATION COMMISSION ORDERS ARE ONLINE -SO WHY ARE YOU CHARGING A FEE ? JUST TELL ME THE ORDER NUMBER AND DATE

ONLY FOR THE AUDIT REPORT OF THE EVM IS THE FEE JUSTIFIED.BUT ARE YOU PROVIDING THE AUDIT REPORT ?

KINDLY REVERT ASAP

SAMIR SARDANA

On Thu, Apr 13, 2023 at 8:46 AM CEO Uttarakhand <election09@gmail.com> wrote:
- Show quoted text -
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

URGENT 0EMAND OF FEES OF RS 150000

Inbox

sam thedivine
<samthedivine@gmail.com>
To: ceo_uttaranchal@eci.gov.in
Sat, Apr 29, 2023 at 10:59 PM
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

THE FAA

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Roaad

Dehradun - 248001

SIR

I HAVE RECEIVED REPLIES FROM THE DISTRICTS OF UTTARAKHAND ASKING FOR FEES OF RS 150000 (SEE ATTACHED)

THEY HAVE NOT STATED THE NAME OF THE APPELLATE AUTHORITY

IT APPEARS THAT THEY DO NOT UNDERSTAND WHAT INFORMATION IS SOUGHT

FOR EXAMPLE - ONLY THE NUMBER OF DELETIONS IS SOUGHT AND NOT THE NAMES OF THE VOTERS DELETED

Voter Deletions

- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Panchayat Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls

IN THE SAME WAY,ONLY THE FINAL VOTE RESULTS BY SEX/RELIGION ARE SOUGHT FOR THE WINNERS AND NOT THE NAMES OF THE VOTERS

Vote results

- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

IS THIS INFORMATION IN 75000 PAGES

AL-SO THIS IS SECTION 4 DATA

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113, Sector 4,Defense Colony,Dehradun,Uttarakhand -248001

3 attachments — Download all attachments

ELECTION.pdf
990K View as HTML Download

ELECTION REPLIES 2 - APRIL 2023.pdf
1572K View as HTML Download

ELECTONS.pdf
1144K View as HTML Download

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

7.2.2. Ground of Appeal No.2 - THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC INTEREST

7.2.2.1. THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC AND NATIONAL INTEREST, AS ITRELATES TO THREATS TO CORRUPTION AND TRANSPARENCY LOSSES AND WASTAGES AS WAS INTIMATED TO THE CEO

Y IS CEO NOT REVOKING THE RUPP REGISTRATIONS AND PROVIDING DATA

Inbox

Wed, May 3, 2023 at 7:09 AM

sam thedivine
<samthedivine@gmail.com>
To: ceo_uttaranchal@eci.gov.in, CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

SUBJECT - Y IS CEO NOT REVOKING THE RUPP REGISTRATIONS AND PROVIDING DATA

SIR

IN ADDITION TO THE PUBLIC INTEREST IN THE INFORMATION ON RUPP,IS THE FOLLOWING

CEO HAS DATA ON RUPP WHO HAVE NOT CONTESTED POLLS IN THE LAST 10 YEARS
CAO HAS DATA ON RUPP WHO HAVE MADE NO ANNUAL ACCOUNTS
CEO HAS DATA ON RUPP WHO HAVE HAD NO AUDITS
CEO HAS DATA ON RUPP WHO SUBMITTED NO AUDIT REPORTS TO CEO
CEO HAS DATA ON RUPP WHO MADE NO CONTRIBUTION REPORTS

SO Y HAS CEO NOT REVOKED RUPP REGISTRATIONS .IF THE RUPP IS NOT LEGIT AS PER CEO - IT CANNOT CLAIM IT EXEMPTIONS,AS ALSO GST EXEMPTIONS.

THE CEO IS THE GENESIS OF THIS EVIL AND HAS THE COMPLETE STATISTICAL DATA TO NAIL THIS SCAM. SO WHY IS THIS NOT ON YOUR PORTAL

IT IS NOT THE RUPP- BUT THE VALUE CHAIN AND SUPPLY CHAIN OF AUDITORS,CA FIRMS,MEDIA,ADVERT COMPANIES,EVENT MANAGERS, TRANSPORTERS, NETAS,DONORS...

RUPP CAN ALSO BE USED BY CORPORATES TO SABOTAGE COMPETITORS AND CAUSE LOGISTICS DISRUPTIONS SO

THE QUESTION IS WHO IS THE CEO PROTECTING AND WHY ?

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113,Sector4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

PUBLIC INTEREST - VOTER DELETIONS AND VOTE RESULTS

Inbox

Wed, May 3, 2023 at 6:50 AM

sam thedivine
<samthedivine@gmail.com>
To: ceo_uttaranchal@eci.gov.in, CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

SUBJECT - PUBLIC INTEREST - VOTER DELETIONS AND VOTE RESULTS

SIR

INDIAN ELECTIONS ARE WON ON RELIGION,AGE AND CASTE .THE ELECTION RESULTS ON THESE PARAMETERS ARE IN PARAMOUNT PUBLIC INTEREST

IN A BUCKET OF 5 YEARS ,AS THE OLD DIE AND INFIRM AND MINORS JOIN THE ELECTORAL ROLLS, IT IS A DEMO DIVIDEND FOR THE BJP - WHICH IS AN ORGANIC GEOMETRIC PROGRESSION GAIN.SO THE VOTER DELETIONS ARE A HUGE ADVANTAGE FOR THE BJP..BESIDES DUPLICATE NAMES AND IDS,SOME WILL MIGRATE OR DIE OR BE RE-REGISTERED WITH NEW NAMES.THE AGGREGATE NUMBER OF THESE NAMES SHOULD BE AVAILABLE TO THE CEO AT THE PRESS OF A BUTTON.

THIS INFORMATION IS IN PARAMOUNT PUBLIC INTEREST

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113,Sector4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

RUPP PUBLIC INTEREST

Wed, May 3, 2023 at 5:48 AM

Inbox

sam thedivine
...dvine@gmail.com>
...eci.gov.in, CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>
...ook6qpey/?view=lg&msg=1892c822dd55c03b

Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

SUBJECT -RUPP PUBLIC INTEREST

SIR

AS YOU KNOW 70% OF RUPP IN INDIA DO NOT FIGHT THE ELECTIONS
MORE THAN 70% DO NOT SUBMIT ANNUAL ACCOUNTS AND AUDIT REPORTS
MORE THAN 50% DO NOT SUBMIT CONTRIBUTION REPORTS

SO WHY DO THEY EXIST IN INDIA AND UKD ! UKD IS A SMALL STATE WITH SMALL MARGIN OF WINnING IS MOST SEATS !

SO Y DO THESE RUPP EXIST - AND WHY IS THE RUPP LIST AND DATA NOT ON YOUR PORTAL AS COMPARED TO OTHER STATES

RUPP IS USED FOR MONEY LAUNDERING VIA SECTION 80GGB AND C OF THE IT ACT AND OTHER SECTIONS

COMPANY X PAYS RS 1 CRORE TO RUPP (VIA DD) A, AND A GIVES BACK 95 LACS TO X IN CASH.X GETS A TAX BENEFIT AND A HAS EARNED RS 5 LACS
NOW A HAS RS 1 CRORE IN HIS BANK ACCOUNT AND HAS TO SPEND IT ! RUPP WILL SPEND ON ADVERTS,PUBLICITY,PRINTING,MELAS,MEETINGS, TRANSPORTATION ETC. OUT OF THIS ADVERTS ARE BY CHEQUE AND REST ARE IN CASH.SO THE CASH IS TAKEN OUT OF THE RUPP - SAY 90LACS
FOR THE ADVERTS RUPP A PAYS RS 10 LACS TO SOME ZEE COMPANY AND ZEE PAYS BACK 9 LACS IN CASH .THERE IS NO ADVERT OR THE ADVERT CANNOT BE VERIFIED BY THE IT DEPTT AS THE TAX AUDIT IS DONE LATER - AND THE ADVERT IS IN THE FORM OF PAINTINGS,HOARDINGS ETC.ZEE IS A LOSS MAKING COMPANY AND TAKES THE ADVERT INCOME TO OFFSET THE TAX LOSSES FOR A FEE

THIS IS MONEY LAUNDERING AND IT FRAUD!

THAT IS THE PURPOSE OF RUPP ! EVERY YEAR RUPP GETS RS1-2000 CRORES OF DONATIONS !

THE SECOND LEG IS THAT RUPP GIVES DONATIONS FOR WHICH IT IS IMPOSSIBLE TO DO A VERIFICATION.SO DONATIONS ARE AN EASY WAY TO DRAIN CASH FROM A RPP "

SUPPOSE TATA STEEL HAS TO GIVE RUPP A RS 1 CRORE - IT CANNOT DO THE SAME - AS THE TATA STEEL BOARD,HAS TO APPROVE IT.SO TATA STEEL PAYS THE DONATION TO BJP AND BJP GIVES IT AS DONATION TO RUPP A. TATA STEEL HAS NO CHECK ON THAT

IN THE ALT, BJP INSTEAD OF TAKING DONATIONS FROM X CAN TAKE IT VIA A RUPP

OR BJP CAN USE SOME RPPs IN SOME ZONES TO PUSH AN ALT- MAINLINE PARTY AGENDA TO CHIP AWAY AT CONG VOTES AND THEN JUST BEFORE THE POLLS ALLY WITH THE RUPP TO CUT OUT THE CONG VOTES

IS ALL OF THE ABOVE IN PUBLIC INTEREST ?

THE CEO UKD HAS TO MONITOR AND SUPERVISE THESE RUPPs TO CHECK IF THEY ARE LEGITIMATE RUPP OR NOT. THEN COMES IN THE DRI/ED ETC. WHAT HAS THE CEO DONE TO REGULATE THESE RUPP ? ARE THEY LEGIT PP ? DO THEY CONTEST POLLS ? HOW MANY HAVE NOT SUBMITTED RETURNS AND ACCOUNTS AND WHAT REVIEW HAS CEO DONE OF THE SAME

ALL OF THE ABOVE MAKES THE INFORMATION IN PUBLIC INTEREST . KINDLY JPLOAD IT ON YOUR PORTAL

Yours Sincerely,

Samir Sardana

r4,
ony,

·248001

P AT CEO UKD IN DEHRADUN HAS ALL THE DATA SOUGHT

Wed, May 3, 2023 at 12:54 AM

sar
<sa mail.com>
To: al@eci.gov.in, CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>
Reply orward | Print | Delete | Show original

THE

Office ief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwa Bhawan, first Floor

Secretar mpus, 04-Shubhash Road

Dehradu 8001

SUBJECT - OOF THAT CEO UKD IN DEHRADUN HAS ALL THE DATA SOUGHT

SIR

THIS IS A S PSHOT OF YOUR SITE

YOU HAVE AL THE DATA BY AGE,SEX,CASTE FOR EACH OF THE 70 SEATS ! WHY DID YOU TRANSFER THE APPLICATION TO THE DISTRICT

KINDLY PROVIDE THE DATA

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113,Sector4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

7.2.3. **Ground of Appeal No.3 - ELECTION COMMISSION is not exempted from standards of oversight, transparency**

andaccountability

7.2.3.1. In addition, the information is **also sought in the public interest, to assess the integrity, competence, efficacy and effectiveness of the SOCIETY and the political and other pressures that it possibly operatesunder**

o **In this regard, the Supreme Court Direction No.14, in the case of Vineet Narain & Others vs. UnionOf India & Another on 18 December, 1997, Bench: S.P. Bharucha, S.C. Sen, may be noted as under :**

§ **A document on CBI 's functioning should be published within three months to provide thegeneral public with a feedback on investigations and information for redress of genuine grievances in a manner which does not compromise with the operational requirements of theCBI**

7.2.3.2. Haryana HC held that if the PA has "nothing to hide" and the information will promotetransparency, the information has to be disclosed, as under:

o **LPA 744 and 755 of 2011, First Appellate Authority and Addl DGP v CSIC, Haryana, the bench of Hemant Gupta,AN Jindal, JJ on 2842011 observed:**

§ **If such information is disclosed, it will lead to transparent administration which is anti-thesis of corruption. If organization has nothing to hide or to cover a corrupt practice, the information should be made available.**

§ **The information sought may help in dispelling favoritism,nepotism or arbitrariness. Such information is necessary for establishing the transparent administration**

7.2.4. **Ground of Appeal No 5- PIO IS NOT EQUIPPED to execute a Rights based welfare enactment**

7.2.4.1. The PIO **DOES NOT** understand **THE SPIRIT OF the RTI Act,2005,** and its discretionary provisions

· HON'BLE HIGH COURT OF DELHI in WP(C) No. 3114/2007,decided on 03.12.2007, Appellants: Bhagat Singh Vs. Respondent: Chief Information Commissioner and Ors.

o A rights based enactment **is akin to a welfare measure, like the Act, should receive a "liberalinterpretation".** The "**contextual background and history**" of the Act, is such that the exemptions, outlined in Section

8,relieving the authorities from the obligation to provide information, constitute restrictions on the exercise of the rights provided by it.

o Therefore, such exemption provisions have to be construed in their terms; there is some authority supporting this view (See Nathi Devi v. Radha Devi Gupta 2005 (2) SCC 201; B. R. Kapoor v. State of Tamil Nadu 2001 (7) SCC 231 and V. Tulasamma v. Sesha Reddy 1977 (3) SCC 99).

o **Adopting a different approach would result in narrowing the rights and approving a judicially mandated class of restriction on the rights under the Act, which is unwarranted.**

9.Order Sought

9.1. The Appellant seeks the following order from the CIC

- Impose Maximum Penalty, on the PIO under Section 20(1) ,of the RTI Act, 2005
- Dismissal of the PIO FOR ILLEGAL AND MALAFIDE ACTION ,and also under the ELECTION COMMISSION SERVICE RULES- which has several provisions for the same
- Administrative action and/strictures, against the PIO (under Section 20(2) , of the RTI Act,2005, ,and also under the ELECTION COMMISSION service rules- which has several provisions for the same
- Recommendation to the ELECTION COMMISSION for administrative action and/strictures, against the PIO
- Direct the Respondents to refund the Application fee paid by Complainant while submitting RTI Application, as per section (7)(6) of the RTI Act;
- PROVIDE ALL THE INFORMATION SOUGHT BY THE APPLICANT U/S 7(6) OF THE RTI ACT
- Invoke its powers under the RTI Act to issue any other direction or recommendation as it may deem appropriate.
- Direct the public authority to make entry in Service Book/Annual Performance Appraisal Report of the PIO for defying the provisions of the Act (under the ELECTION COMMISSION SERVICE RULES- which has several provisions for the same)

Verification

I, Mr Samir Sardana, resident of D-113, Sector 4,Defense Colony, Dehradun, Uttarakhand - 248001, do hereby state on oath and verify that the contents of all the paras of the above Appeal, are true tothe best of my knowledge and belief, and no part of it is false

Samir Sardana

Signature

Appellant – Samir Sardana

Place – Delhi,Date – 5TH OCTOBER,,2023

अनुरोधपत्र

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

Subject – CEC UTTARAKHAND - RTI Application for Inspection, Certified Copies and information u/s 2(j), and 6(1) of the RTI Act

Dear Sir,

RTI Application and IPO

1.1.This is a "**RTI Application u/s 2(f),2(j) & 6(1)**" of the "**RTI Act,2005**",

1.2.An IPO of Rs 10/- has been sent to you by speed post

2.Particulars of RTI Applicant

2.1.Particulars of the RTI Applicant, are as under :

- **Name of RTI Applicant - Samir Sardana**
- **Address - D-113,Sector 4,Defense Colony, Dehradun, Uttarakhand -248001**

3.Context and Public Disclosure

3.1. As per the CIC,Election affidavits,expenses and results by polls and candidates are to be uploaded on portals of cec free of cost

https://timesofindia.indiatimes.com/india/public-representative-cant-deny-declared-info-under-rti-cic/articleshow/66057436.cms
https://www.moneylife.in/article/upload-credentials-and-affidavits-of-panchayat-election-candidates-orders-mps-information-commissioner/64402.html
https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/candidates-affidavit-should-be-open-to-public-scrutiny/article25419875.ece

3.2.Many states upload the Election affidavits,expenses and results by polls and candidates on their portal

https://ceobihar.nic.in/affidavits.html
https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Affidavits/candidate-affidavits.aspx
https://ceochhattisgarh.nic.in/en/candidates-affidavit-and-expenses

4. PUBLIC AUTHORITY

4.1. CEC UTTARAKHAND IS A PUBLIC AUTHORITY ,UNDER THE RTI ACT

5.RTI Information Sought

5.1. The Following Information is sought from the PIO

Section 4

- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls

Inspection

- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

Vote results

- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

Voter Deletions

- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Panchayat Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls

Registered Unrecognised Political Parties

- PIO to state the names of the Registered Unrecognised Political Parties in the last 3 Lok Sabha and State Polls (who contested the polls)
- PIO to state the names of the Registered Unrecognised Political Parties in the state of Uttarakhand
- PIO to state the number of votes of EACH the Registered Unrecognised Political Parties in EACH of the last 3 Lok Sabha and State Polls

Delimitation

- PIO to state the number of orders and order ref number of the Orders of the Delimitation Commission for the state of Uttarakhand and provide copies of the same

Antecedents

- PIO to state the names of the candidates with criminal antecedents (with addresses and parties), in the last 2 Lok and Rajya Sabha Polls

EVM

- PIO to state the number of EVM,which malfunctioned in the last Lok Sabha and Rajya Sabha Polls
- PIO to state if any IT or other TECHNICAL AUDIT OF THE EVM HAS BEEN DONE/SPONSORED BY CEC UTTARAKHAND , IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT,NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

AUDIT

- PIO TO STATE IF ANY IT AUDIT HAS BEEN DONE,OF THE VOTER LIST,AND VOTER I CARD SYSTEM,IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT,NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

AUDIT REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY REGISTERED POLITCAL PARTIES

CONTRIBUTION REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR CONTRIBUTION REPORTS ,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE CONTRIBUTION REPORTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY POLITCAL PARTIES

6. Information required in Public Interest

5.1.The Public interest is obvious and will be explained in the appeal

7. Burden of Proof - By Law and Case Laws

7.1. As per Section 19(5) of the RTI Act,2005,**the burden of proof lies in the PIO/CPIO/Public Authority**. According to Section 19(5) "**In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer** or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request."

The same is also held in **BS. Mathur Vs. Public Information Officer of Delhi High Court, W.P. (C) 295 and 608/2011 High Court of Delhi**".

7..2. As per Section 20(1) of the RTI Act - Provided further that the "**burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer"** or the State Public Information Officer, as the case may be.

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113,Sector4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

अनुरोध पत्र का अंतरण – I

संशोधित

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email Id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या– 565 / XXV– 53(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक 11 अप्रैल, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

1. केन्द्रीय लोक सूचना अधि0 /
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली। /

2. समस्त लोक सूचना अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

3. लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास
लाडपुर रोड़, देहरादून।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Samir Sardana D-113, Sector 4, Defence Colony, Dehradun का अनुरोध पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 05.04.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है जिसमें निम्नानुसार सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है:–

विभाग का नाम जिन्हे सूचना हस्तान्तरित की जा रही है।	विषय वस्तु	सूचना का विवरण
लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग लाडपुर देहरादून	Section 4	बिन्दु संख्या–3 एवं 4
	Inspection	बिन्दु संख्या–2
	Vote results	बिन्दु संख्या–2
	Voter Deletions	बिन्दु संख्या–3 एंव 4
समस्त लोक सूचना अधिकारी / सहा0 जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।	Section 4	बिन्दु संख्या–1 एवं 2
	Registered Unrecognised political Parties	बिन्दु संख्या–1 एंव 3
	Antecedents	बिन्दु संख्या–1
	EVM	बिन्दु संख्या–3
	Audit	बिन्दु संख्या–1 एंव 2
केन्द्रीय लो0सू0अधि0 / प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली।	EVM	बिन्दु संख्या–2
	Audit Reports	बिन्दु संख्या–1
	Contribution Reports	बिन्दु संख्या–1

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या– 565 / XXV– 53(P-14) / 2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि– Samir Sardana D-13, Sector 4, Defence Colony, Dehradun को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

शुल्क मांगपत्र

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) – 2713551

फैक्स न० (0135)-2713724,

संख्या– 573/XXV– 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 13 अप्रैल, 2022

अतिरिक्त शुल्क: के लिए सूचना का प्रपत्र

सेवा में,

Shri Samir Sardana,
D-113, Sector 4,
Defence Colony, Dehradun ,

विषय– अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 3.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गयी सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रू0 244.00(रू0 दो सौ चवालीस) अतिरिक्त शुल्क देय होता है

विषय वस्तु	बिन्दु संख्या	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
Vote results	बिन्दु संख्या–1	सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।		
Registered Unrecognised political Parties	बिन्दु संख्या–2	106	रू0 2.00 प्रति पेज	212
Delimitation	बिन्दु संख्या–1	9	रू0 2.00 प्रति पेज	18
EVM	बिन्दु संख्या–1	7	रू0 2.00 प्रति पेज	14

अतः उक्त धनराशि की यथाशीघ्र पोस्टल आर्डर अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करें।

मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

भवदीय,

BSRawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

सूचना प्रेषित

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4--सुभाष रोड, देहरादून– 248001
फोन न० (0135) - 2713551
फैक्स न० (0135) -2713724,
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 600 / XXV– 53(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल, 2022

सेवा में,

Shri Samir Sardana,
D-113, Sector 4,
Defence Colony, Dehradun

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–565 दिनांक 12.04.2023 एवं पत्र संख्या–573 दिनांक 13.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में आपके ईमेल दिनांक 13.04.2023 के क्रम मे अवगत कराना है कि स्वतः स्फूर्त प्रकटन हेतु सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय की वेबसाईट **https;//ceo.uk.gov.in** एवं **eci.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

अतः आप उक्त जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते है:–

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड,
देहरादून–248001

भवदीय,
B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

संलग्नक –7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

।। कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० एंव स्था०नि०), पौड़ी गढ़वाल।।

Phone/Fax – (01368) 222061 e-mail- panchasthani.pauri@gmail.com

संख्या : 10 /सू०काआ०–2005/2023–24 दिनांक 19 अप्रैल, 2023

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
समस्त खण्ड विकास अधिकारी
जिला–पौडी गढ़वाल।

विषय : सूचना के अधिकार–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 39/सू०काअ०/3050/2021 दिनांक 18 अप्रैल 2023 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री समीर सरदाना, डी–113, सेक्टर 4 डिफेन्स कॉलोनी देहरादून का अनुरोध पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें मांगी गयी सूचना त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 से सम्बन्धित निर्वाचन में समस्त पदो के उम्मीदवारों से है, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित (प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एव सदस्य क्षेत्र पंचायत) के समस्त अभिलेख विकास खण्डों में ही सुरक्षित रखे गये है। उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना निम्नानुसार आपके कार्यालय/विभाग से सम्बन्धित है।

विषय वस्तु	सूचना का विवरण
Section 4	बिन्दु संख्या–03 एवं 04
Inspection	बिन्दु संख्या–02
Voter Results	बिन्दु संख्या–2
Voter Deletions	बिन्दु संख्या–03 एवं 04

अतः अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचायतराज अनुभाग
पौडी गढ़वाल।

प्रतिलिपि :
1. श्री समीर सरदाना, डी–113, सेक्टर 4 डिफेन्स कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र संख्या 39 दिनांक 18 अप्रैल 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रथम अपील

Gmail **sam thedivine <samthedivine@gmail.com>**

CEO UTTARAKHAND Signed 1st Appeal u/s 19(1) of the RTI Act,2005 (ILLEGAL FEE DEMAND AND NON-REPLY TO SOME INFORMATION REQUIREMENTS)

sam thedivine <samthedivine@gmail.com> Sat, Apr 22, 2023 at 5:13 PM
To: ceo_uttaranchal@eci.gov.in
Bcc: samhumanrights555 <samhumanrights555@gmail.com>, sam thedivine <samthedivine@gmail.com>, sam5sardana55 <sam5sardana55@gmail.com>

THE FAA

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Roaad

Dehradun - 248001

Subject - CEO UTTARAKHAND Signed 1st Appeal u/s 19(1) of the RTI Act,2005 (ILLEGAL FEE DEMAND AND NON-REPLY TO SOME INFORMATION REQUIREMENTS)

Dear Sir,

1.Context

1.1.This is the 1st Appeal u/s 19(1) of the RTI Act,2005, w.r.t THE ILLEGAL ILLEGAL FEE DEMAND AND NON-REPLY TO SOME INFORMATION REQUIREMENTS 4,AS UNDER:

- **PIO REPLY REF.NO. 429/ 25-10/2023,dated 18th April,2023,asking for a fees of Rs 2348**
- **PIO REPLY REF.NO. 39/3050/2021,dated 18th April 2023,signed by RK Verma as transfer letter**
- **PIO REPLY REF.NO. 03/2022 dated 20th April, signed by Zila Nirvachan Adhikari, Pancharsthani Xhunavalya Tehri,sking for a fees of Rs 7200**
- **PIO REPLY REF.NO. 573//XXV-53(P-14)/2021, dated 13th April, signed by BS RAWAT ,askng for a fees of Rs 244**

1.2.The information sought by the Applicant is DETAILED IN THE 2RTI APPLICATIONS SENT

-

Section 4

- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls
- PIO to provide the aggregate assets,liabilities,age,Educational Qualifications of all the winning candidates,in the last Panchayat Polls

-

Inspection

-

- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

-

Vote results

-

- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

-

Voter Deletions

-

- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Panchayat Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls

-

Registered Unrecognised Political Parties

-

- PIO to state the names of the Registered Unrecognised Political Parties in the last 3 Lok Sabha and State Polls (who contested the polls)
- PIO to state the names of the Registered Unrecognised Political Parties in the state of Uttarakhand
- PIO to state the number of votes of EACH the Registered Unrecognised Political Parties in EACH of the last 3 Lok Sabha and State Polls

-

Delimitation

-

- PIO to state the number of orders and order ref number of the Orders of the Delimitation Commission for the state of Uttarakhand and provide copies of the same

Antecedents

- PIO to state the names of the candidates with criminal antecedents (with addresses and parties), in the last 2 Lok and Rajya Sabha Polls

-

EVM

-

- PIO to state the number of EVM,which malfunctioned in the last Lok Sabha and Rajya Sabha Polls
- PIO to state if any IT or other TECHNICAL AUDIT OF THE EVM HAS BEEN DONE/SPONSORED BY CEC UTTARAKHAND , IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT,NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

AUDIT

- PIO TO STATE IF ANY IT AUDIT HAS BEEN DONE,OF THE VOTER LIST,AND VOTER I CARD SYSTEM,IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT,NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

-

AUDIT REPORTS

-
- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY REGISTERED POLITCAL PARTIES

-

CONTRIBUTION REPORTS

-
- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR CONTRIBUTION REPORTS ,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE CONTRIBUTION REPORTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY POLITCAL PARTIES

-

3.FAA Hearing

3.1.The Appellant **demands a FAA Hearing Notice and the presence of the Appellant in the FAA Hearing OR A TELEPHONIC HEARING**

- It is **proposed that 1 FAA hearing be used to make submission and arguments** – except the case referred to in Para 3.4.

-

CIC Case law - Illegality of FAA Order and process - wherein Appellant had specifically asked for Hearing

In CIC order **CIC/SM/A/2013/000312 dated 18-7-2012, CIC held**,as under:

- During the hearing, among other submissions, the Appellant specifically wanted us to take note of the fact that the **Appellate Authority had not given him any opportunity of hearing even after he expressly requested for that** Although the Right to Information (RTI) Act or the rules made thereunder do not prescribe in detail the procedure to be followed by the Appellate Authority in dealing with first appeals, by convention, the Appellate Authority should give an opportunity of hearing to any Appellant if the Appellant expressly wants to be heard. **Therefore, we would like the Appellate Authority to bear this in mind and, wherever any such request is made, to afford an opportunity of hearing to that Appellant**. Subsequently this ruling was followed in another second appeal CIC/SM/A/2013/001324RM

This was also held in the case of the Appellant in CIC Case reference **File no.: CIC/MMTCL/C/2019/ 643215,in the case of Samir Sardana vs. CPIO - MMTC**

The above ratio was also held **in the case** of the Appellant in CIC Case reference **File no.: CIC/ STCIL/ C/ 2019/ 645981,in the case of Samir Sardana vs. CPIO – STCIL,wherein the CIC stated as under:**

The above ratio was also held **in the case** of the Appellant in CIC Case reference **File no.: CIC/ STCIL/C/ 2019/645952 ,in the case of Samir Sardana vs. CPIO – STCIL**

The above ratio was also held **in the case** of the Appellant in CIC Case reference **File no.: CIC/ STCLT/C/ 2019/ 646473, in the case of Samir Sardana vs. CPIO – STCL**

3.2. THE FAA MIGHT NOTE THAT BASIC NORMS OF NATURAL JUSTICE , WILL BE VIOLATED BY NOT PROVIDING A HEARING,TO THE APPELLANT

- **The Constitution Bench of the Supreme Court in S N Mukherjee v Union of India103 observed:**

  - **The object underlying the rules of natural justice —is to prevent miscarriage of justicell and secure —fair play in action. As pointed out earlier the requirement about recording of reasons for its decision by an administrative authority exercising quasi-judicial functions achieves this object by excluding chances of arbitrariness and ensuring a degree of fairness in the process of decision-making. Keeping in view the expanding horizon of the principles of natural justice, we are of the opinion, that the requirement to record reason can be regarded as one of the**

principles of natural justice which govern exercise of power by administrative authorities. The rules of natural justice are not embodied rules.

o (Emphasis supplied) The requirement to record reasons is a principle of natural justice and a check against the arbitrary exercise of power by judicial and quasi-judicial bodies. In making a determination under clause (j) of clause (1) of Section 8 in a given case, it would not be satisfactory if an Information Officer were merely to record (1990) 4 SCC 495

3.3.NOT HAVING A FAA HEARING (BY TELE OR VC OR IN PERSON) MEANS THAT THE APPELLANT WILL HAVE NO RESPONSE FROM THE PIO ON THE GROUNDS OF APPEAL RAISED BY THE APPELLANT – WHICH IS AKIN TO HAVING NO SAY OF THE PIO ON THE APPEAL MADE BY THE APPELLANT

IN THE NORMAL COURSE , THE PIO makes a SAY OF THE PIO,which responds to each illegality,detailed in Para 8,of the 1st Appeal of the FAA, and places it on record,sends a copy to the appellant,and the appellant is given only 1 chance to respond,to the said Say of the PIO.This will satisfy the test,of the "Right to Cross examination and the Right to all the information relevant to a hearing".

The Supreme Court,in Para 47 of `Kranti Associates (P) Ltd. & Ors. v. Masood Ahmed Khan & Ors. [(2010) 9 SCC 496], summarised the principles of natural justice,in a quasi judicial proceeding,as under:

(c) Insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principle of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well.
(d) Recording of reasons also operates as a valid restraint on any possible arbitrary exercise of judicial and quasi- judicial or even administrative power.
(e) Reasons reassure that discretion has been exercised by the decision-maker on relevant grounds and by disregarding extraneous considerations.
(m) It cannot be doubted that transparency is the sine qua non of restraint on abuse of judicial powers.

The Principles of "Transparency and recording of reasons" requires that the PIO submits a Say of the PIO to the FAA and the Appellant - as it would place it on record and have absolute evidentiary value in any judicial proceeding.It also lends to transparency and brings reason to the judgment as postulaled by the SC in the same judgment (stated above) and encapsulated below:

(k) If a judge or a quasi-judicial authority is not candid enough about his/her decision-making process then it is impossible to know whether the person deciding is faithful to the doctrine of precedent or to principles of incrementalism.

<u>United Nations Declaration of Basic Equality of arms</u>

Allowing for a situation wherein he Appeal of the Appellant has been seen and analysed by the PIO,and the FAA of REC - BUT the appellant has not read,seen or heard,the RIPOSTE OR POSIT OF THE PIO of REC,on each GROUND OF APPEAL is a violation of the United Nations Declaration of Basic Equality of arms,as under:

• Equality of arms, which must be observed throughout the trial process, means that both parties are treated in a manner ensuring that they have a procedurally equal position during the course of the trial, and are in an equal position to make their case.
o It means that each party must be afforded a reasonable opportunity to present its case, under conditions that do not place it at a substantial disadvantage vis-à-vis the opposing party.

3.4.This has been **<u>held to be the law in past HC and CIC case laws</u>** – and THE FAA IS NOTE THE SAME

<u>CIC Case law No.1 - Illegality of FAA Order and process</u>
The CIC has held in the following case.as under :
File No.CIC/SA/A/2014/000254
Appellant/Complainant : Mr. R.K.Jain

Respondent : Department of Legal Affairs,Government of India
Date of hearing : 24112014
Date of decision : 05122014

- The Commission also notes that the way the first appeal was conducted by the FAA is wrong and illegal for want of compliance with the principles of natural justice and violation of Section 19(6) of the RTI Act, wherein time limit is prescribed as 45 days. FAA went on hearing without issuing hearing notice to the appellant and concluded that no further hearing was necessary, which reflects illegal and unreasonable handling of the first appeal,driving the appellant to Second appeal, thereby creating confusion besides increasing the workload.
  - The Commission, therefore, takes this opportunity to caution the First Appellate Authority not to repeat illegal practice of not hearing the appellant, not persuing natural justice, not having the time limit provided under the RTI Act.
- The Commission cited the decision of Supreme Court in its Civil Appeal No.9095/2012 Manohar Vs. State of Maharashtra, stated in para 23: ...Thus, the principle is clear and settled that right of hearing, even if not provided under a specific statute, the principles of natural justice shall so demand, unless by specific law, it is excluded. It is more so when exercise of authority is likely to vest the person with consequences of civil nature....
- CIC also recommended action against the officer for this 'illegal' order

CIC Case law No.2 - Illegality of FAA Order and process - wherein Appellant had specifically asked for Hearing.

In CIC order CIC/SM/A/2013/000312 dated 18-7-2012, CIC held,as under:

- During the hearing, among other submissions, the Appellant specifically wanted us to take note of the fact that the Appellate Authority had not given him any opportunity of hearing even after he expressly requested for thatAlthough the Right to Information (RTI) Act or the rules made there under do not prescribe in detail the procedure to be followed by the Appellate Authority in dealing with first appeals, by convention, the Appellate Authority should give an opportunity of hearing to any Appellant if the Appellant expressly wants to be heard. Therefore, we would like the Appellate Authority to bear this in mind and, wherever any such request is made, to afford an opportunity of hearing to that Appellant. Subsequently this ruling was followed in another second appeal CIC/SM/A/2013/001324RM

CIC Case law No.3 - Illegality of FAA Order and process - Speaking Order and Hearing Process

Vide order dated 21 December 2012, under File No.CIC/SM/A/2012/000784 & 786, the then Hon'ble Cheif Information Commissioner, Mr. Satyananda Mishra has noted as under :

- "Para 9 of Order - We would like the Appellate Authority to be more careful in future in dealing with appeals filed before her. It is not enough to reproduce the contents of the RTI application and the reply of the CPIO; the Appellate Authority must pass a speaking order justifying her decision in each case. Wherever the Appellant wants personal hearing, he should be given that opportunity. In the present two cases, the Appellate Authority has not acquitted herself justifiably."

CIC Case law No.4 - Illegality of FAA Order and process - Transparency

Order of the Hon'ble CIC under File No.CIC/SM/A/2011/901365, dated 9 July 2012, which shas noted as under :

- "Para 6 of Order - It must be remembered that the transparency demanded under the Right to Information (RTI) Act of all public authorities would also extend to the CPIO, the Appellate Authority and the Central Information Commission in equal measure. The records generated by these authorities while dealing with any RTI application or appeal will have to be readily available in the public domain without any hindrance."

CIC Case law No.5 - Illegality of FAA Order and process - Transparency

DOPT OM No.1/3/2008-IR dated 25 April 2008, of the Department of Personnel and Training, Government of India (Guide for the First Appellate Authorities) Which states as under :

Disposal of Appeal

- Para 38. Deciding appeals under the RTI Act is a quasi-judicial function. It is therefore necessary that the appellate authority should see to it that the justice is not only done but it should also appear to have been done. In order to do so, the order passed by the appellate authority should be a speaking order giving justification for the decision arrived at.

3.5.The Appellant **also demands an Original Copy of the Say of the PIO,** w.r.t this 1st Appeal – **5 days before the date of the hearing**

- If it cannot **be sent for any reason – then the Say of the PIO should be handed over to the Appellant on the date of the FAA Hearing – before the commencement of the FAA Hearing**

3.6.If the Appellant cannot attend the FAA Hearing – **id.est., the 1st Hearing** – the Appellant will **send the Written Representation and the FAA can send the Say of the PIO**

- **In this event the FAA needs to conduct a 2nd Hearing for Arguments – wherein again the Appellant will submit the Riposte to the Say of the PIO – which will need to be receipted by the FAA**

4.Section 7(6) of the RTI Act,2005 - Information to be provided free of cost

4.1.Since the PIO **made a DEEMED REJECTION OF THE INFORMATION SOUGHT (Refer Para 2.1. above) - it is submitted that the PIO has to provide the above information, free of cost u/s 7(6) of the RTI Act,2005 and the spirit of the RTI Act,2005.**

- The Applicant will nee**d to verify the copies taken with the originals and each page needs to have a stamp as "Certified True Copy" - as per the RTI Act,2005**
- The certified copies handed over to the Applica**nt should have a covering letter stating the specifics of the copies given and the basis of the fees**

5.Violation of Duties of a PIO

5.1.Section 7 explains the duties of CPIO under RTI Act, it says:

> Subject to the proviso of sub-section (2) of section 5 or the proviso to sub-section (3) of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, **either provide** the information on payment of such fee, as may be prescribed or **reject the request** for **any of the reasons specified in sections 8 and 9**.

6.The Facts of the Case

6.1.It is posited that all the information sought by the Applicant in THE RTI Application , CAN BE OBTAINED BY the PIO OF THE ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND

7.Criticality of the Information sought

7.1.The Information is sought, as a matter of paramount public and national interest. The purpose of the application,is to introduce transparency in the operations of ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND ,AND THE CANDIDATES

8.Grounds of the 1st Appeal

8.1.The actions of the PIO are **patently and blatantly illegal and malafide, with intent to cheat and defraud the Appellant (also refer to Para 2, Para 4 and Para 5 above), besides reflecting the animus and bias,** against the Appellant.

8.2. The SEVEN **(7) Grounds of Appeal, are** given below:

- **Ground of Appeal No.1 – The PIO HAS MADE NO REPLY TO SOMEREQUIREMENTS**

- **Ground of Appeal No.2- PIO HAS NOT ALLOWED INSPECTIONS**
- **Ground of Appeal No.3- PIO HAS ASKED FOR A FEE OF RS 10000, FOR INFORMATION , WHICH SHOULD BE IN THE PUBLIC DOMAIN,U/S 4 OF THE RTI ACT** AND **, WHICH IS DISCLOSED ON LINE BY OTHER STATES**
- **Ground of Appeal No.4-PIO HAS MADE A PATENTLY ILLEGAL DEMAND FOR FEES**
- **Ground of Appeal No.5-PIO HAS MADE A LINK TO HIS PORTAL IN THE PIO REPLY ,W.O STATING WHAT INFORMATION IS AVAILABLE THERE**
- **_Ground of Appeal No.6 – ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND is not exempted from standards of oversight, transparency and accountability**
- **_Ground of Appeal No 7.- PIO does not have the ken to execute a Rights based welfare enactment**

-

8.2.1.Ground of Appeal No.1 –_– The PIO HAS MADE NO REPLY TO SOMEREQUIREMENTS

8.2.1.1._–_– The PIO HAS MADE NO REPLY TO SOMEREQUIREMENTS,AS UNDER :

-

Inspection

- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

-

Vote results

- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

-

Voter Deletions

- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,in the last Panchayat Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists,by Sex,Age,Religion and Caste,in the last Panchayat Polls

Antecedents

- PIO to state the names of the candidates with criminal antecedents (with addresses and parties), in the last 2 Lok and Rajya Sabha Polls

-

EVM

- PIO to state the number of EVM,which malfunctioned in the last Lok Sabha and Rajya Sabha Polls
- PIO to state if any IT or other TECHNICAL AUDIT OF THE EVM HAS BEEN DONE/SPONSORED BY CEC UTTARAKHAND , IN THE LAST 5 YEARS

AUDIT REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY REGISTERED POLITCAL PARTIES

CONTRIBUTION REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES,WHICH DID NOT SUBMIT THEIR CONTRIBUTION REPORTS ,FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE CONTRIBUTION REPORTS,SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY POLITCAL PARTIES

8.2.2. Ground of Appeal No.2 - PIO HAS NOT ALLOWED INSPECTIONS

8.2.2.1. THE **PIO HAS NOT ALLOWED INSPECTIONS OF THE FOLLOWIING**

Inspection

- PiO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Lok Sabha and State Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PiO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates,in the last Panchayat Polls,for the Top 2 candidates by vote number for each seat

8.2.3. Ground of Appeal No.3- PIO HAS ASKED FOR A FEE OF RS 10000, FOR INFORMATION , WHICH SHOULD BE IN THE PUBLIC DOMAIN,U/S 4 OF THE RTI ACT

8.2.3.1. The **PIO HAS ASKED FOR A FEE OF RS 10000, FOR INFORMATION , WHICH SHOULD BE IN THE PUBLIC DOMAIN,U/S 4 OF THE RTI ACT**

8.2.3.2 **As per the CIC,Election affidavits,expenses and results by polls and candidates are to be uploaded on portals of cec free of cost**

https://timesofindia.indiatimes.com/india/public-representative-cant-deny-declared-info-under-rti-cic/articleshow/66057436.cms
https://www.moneylife.in/article/upload-credentials-and-affidavits-of-panchayat-election-candidates-orders-mps-information-commissioner/64402.html
https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/candidates-affidavit-should-be-open-to-public-scrutiny/article25419875.ece

8.2.3.3Many states upload the Election affidavits,expenses and results by polls and candidates on their portal

https://ceobihar.nic.in/affidavits.html
https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Affidavits/candidate-affidavits.aspx
https://ceochhattisgarh.nic.in/en/candidates-affidavit-and-expenses

8.2.3.4.LIST OF RUPP IS ALSO ONLINE, IN SEVERAL STATES AS A SECTION 4 DISCLOSURE

-
https://ceorajasthan.nic.in/Publications/RUPP%20List%20in%20Raj.pdf
https://ceobihar.nic.in/BiharElection/Statistical%20Report/statistical_report_2010/1%20-%20List%20of%20Participating%20Political%20Parties.pdf
https://ceobihar.nic.in/PDF/ppp_09012023.pdf

8.2.3.5.PANCHAYAT ELECTION DATA IS SECTION 4 DATA WHICH SHOULD BE PLACED ONLINE

-

8.2.4.Ground of Appeal No.4- PIO HAS MADE A PATENTLY ILLEGAL DEMAND FOR FEES

-

8.2.4.1.IPIO HAS MADE A PATENTLY ILLEGAL DEMAND FOR FEES

8.2.4.2.I PIO HAS NOT STATED THE FEES FOR :ANTECEDENTS SEPARATELY WHICH IS REQUIRED AS PER LAW (IS THIS RU NNING INTO 500 PAGES ?

Antecedents

- PIO to state the names of the candidates with criminal antecedents (with addresses and parties), in the last 2 Lok and Rajya Sabha Poll

8.2.4.3.ITHERE ARE ONLY 5 LOK SABHA SEATS IN UTTARAKAHND AND 70 ASSEMBKY SEATS.EACH SEAT CAN HAVE ONY 1 WINNER

- SO THERE ARE 5 LOK SABHA WINNERS FOR WHOM aggregate assets,liabilities,age, Educational Qualifications AND E,ECTION EXPENSES,WAS SOUGHT
  - HOW CAN THIS RUN INTO 600 PAGES
- SO THERE ARE 70 ASSEMBLY WINNERS FOR WHOM aggregate assets,liabilities,age, Educational Qualifications AND ELECTION EXPENSES,WAS SOUGHT
  - HOW CAN THIS RUN INTO 600 PAGES

8.2.4.4.PIO WAS ASKED FOR number of EVM,which malfunctioned in the last Lok Sabha and Rajya Sabha Polls.SO IT IS JUST FOR 1 ELECTION.HOW DOES THIS RUN INTO 7 PAGES?

8.2.5. **Ground of Appeal No.5- PIO HAS MADE A LINK TO HIS PORTAL IN THE PIO REPLY ,W.O STATING WHAT INFORMATION IS AVAILABLE THERE**
8.2.5.1. PIO HAS MADE A LINK TO HIS PORTAL IN THE PIO REPLY ,W.O STATING WHAT INFORMATION IS AVAILABLE THERE _

8.2.6.Ground of Appeal No.6 – ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND is not exempted from standards of oversight, transparency and accountability

8.2.6.1.In addition, the information is **also sought in the public interest, to assess the integrity, competence, efficacy and effectiveness of the ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND and the political and other pressures that it possibly operates under**

- **In this regard, the Supreme Court Direction No.14, in the case of Vineet Narain & Others vs. Union Of India & Another on 18 December, 1997, Bench: S.P. Bharucha, S.C. Sen, may be noted as under :**
  - § **A document on CBI 's functioning should be published within three months to provide the general public with a feedback on investigations and information for redress of genuine grievances in a manner which does not compromise with the operational requirements of the CBI**

8.2.6.2.Haryana HC held that if the PA has "nothing to hide" and the information will promote transparency, the information has to be disclosed, as under:

- **LPA 744 and 755 of 2011, First Appellate Authority and Addl DGP v CSIC, Haryana, the bench of Hemant Gupta, AN Jindal, JJ on 2842011 observed:**
  - § **If such information is disclosed, it will lead to transparent administration which is antithesis of corruption. If organization has nothing to hide or to cover a corrupt practice, the information should be made available.**

§ The information sought may help in dispelling favoritism,nepotism or arbitrariness. Such information is necessary for establishing the transparent administration

8.2.7.Ground of Appeal No 7.- PIO does not have the ken to execute a Rights based welfare enactment

8.2.7.1.The PIO **lacks the Intellectual angulature,** to **understand and implement, the RTI Act,2005,** and its discretionary provisions

- HON'BLE HIGH COURT OF DELHI in WP(C) No. 3114/2007,decided on 03.12.2007, Appellants: Bhagat Singh Vs. Respondent: Chief Information Commissioner and Ors.
  - A rights based enactment **is akin to a welfare measure, like the Act, should receive a "liberal interpretation".** The "**contextual background and history**" of the Act, is such that the exemptions, outlined in Section 8,relieving the authorities from the obligation to provide information, constitute restrictions on the exercise of the rights provided by it.
  - Therefore, such exemption provisions have to be construed in their terms; there is some authority supporting this view (See Nathi Devi v. Radha Devi Gupta 2005 (2) SCC 201; B. R. Kapoor v. State of Tamil Nadu 2001 (7) SCC 231 and V. Tulasamma v. Sesha Reddy 1977 (3) SCC 99).
  - **Adopting a different approach would result in narrowing the rights and approving a judicially mandated class of restriction on the rights under the Act, which is unwarranted.**

9.Burden of Proof

9. 1.. As per Section 19(5) of the RTI Act,2005,**the burden of proof lies in the PIO/CPIO/Public Authority**. According to Section 19(5) "**In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer** or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request."

The same is also held in **BS. Mathur Vs. Public Information Officer of Delhi High Court, W.P. (C) 295 and 608/2011 High Court of Delhi**".

9.2. As per Section 20(1) of the RTI Act - Provided further that the "**burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer**" or the State Public Information Officer, as the case may be.

10.Order Sought

10.1. The Appellant seeks the following order from the FAA

- **Impose Maximum Penalty, on the PIO under Section 20(1) ,of the RTI Act,2005**
- **Dismissal of the PIO FOR ILLEGAL AND MALAFIDE ACTION ,and also under the ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND SERVICE RULES– which has several provisions for the same**
- **Administrative action and/strictures, against the PIO (under Section 20(2) , of the RTI Act,2005, ,and also under the ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND service rules– which has several provisions for the same**
- **Recommendation to the ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND for administrative action and/strictures, against the PIO**
- **Direct the Respondents to refund the Application fee paid by Complainant while submitting RTI Application, as per section (7)(6) of the RTI Act;**

- **PROVIDE ALL THE INFORMATION SOUGHT BY THE APPLICANT**
- **Invoke its powers under the RTI Act to issue any other direction or recommendation as it may deem appropriate.**
- **Direct the public authority to make entry in Service Book/Annual Performance Appraisal Report of the PIO for defying the provisions of the Act (under the ELECTION AUTHORITY,UTTARAKHAND SERVICE RULES– which has several provisions for the same)**
- **Compensate the Appellant**

Yours Sincerely,

Samir Sardana

D-113, Sector 4,Defense Colony,Dehradun,Uttarakhand -248001

प्रथमअपील [illegible]

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून —248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in | फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
election09@gmail.com | फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या— 903 /XXV— 12 (14) / 2018 देहरादून : दिनांक 17 जून, 2023

<u>अपील संख्या— 22/2023</u>

अपीलकर्ता— Shri Samir Sardana, D-13, [Sector 4] Defence Colony, Dehradun,Uttarakhand

उत्तरदाताः—लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।

<u>—: आदेश :—</u>

अपीलकर्ता श्री समीर सरदाना, डी—13, सेक्टर—4, डिफेंस कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड का अपीलीय ईमेल संदेश दिनांक 23.4.2023 के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या—662 दिनांक 04 मई 2023 द्वारा दिनांक 10.05.2023 समय 02:30 बजे अपरान्ह सुनवाई की तिथि व समय निर्धारित की गयी, जिस पर अपीलार्थी के ईमेल संदेश दिनांक 10.5.2023 के क्रम में उनके प्रस्ताव के आधार पर नियत दिनांक एवं समय पर Google Meet के माध्यम से अपील पर वर्चुअल सुनवाई की गयी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान निम्न प्रकार बिन्दुवार चर्चा करते हुए अपील का निस्तारण किया गयाः—

1— अपीलीय प्रार्थना पत्र के सैक्शन—4 के बिन्दु संख्या—1 एवं 2 के संदर्भ में अपीलकर्ता के साथ अपील की सुनवाई के दौरान हुए सम्यक् विचार—विमर्श के क्रम में स्पष्ट करना है कि गत लोक सभा एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन (लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2019 एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन—2022) के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के शपथ—पत्र (एफिडेविट) विभागीय वेबसाईट ceo.uk.gov.in में बायीं ओर दसवीं पंक्ति में Affidavits लिंक पर उपलब्ध हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के फलस्वरुप प्राप्त विण्डो में ड्रिल—डाउन सूची में इलेक्शन—जनवरी—मार्च—2022 सेलेक्ट करने पर विधान सभा सामान्य निर्वाचन—2022, तथा इलेक्शन—मई—2019 सेलेक्ट करने पर लोक सभा—2019 से संबंधित शपथ—पत्र देखे जा सकते हैं। इसी विण्डो की दांयी ओर सेकण्ड ड्रिल—डाउन विण्डो में निर्वाचन सेलेक्ट करना होगा तथा दांयी ओर तृतीय ड्रिल—डाउन विण्डों में राज्य सेलेक्ट कर वांछित सूचना/एफिडेविट डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस संबंध में अपीलकर्ता को वेबसाईट का सादर लाईव डेमो प्रदर्शित किया गया था। एफिडेविट में सभी अभ्यर्थियों की चल—अचल सम्पति, शैक्षिक योग्यता तथा लाईबिलिटीज आदि से संबंधित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध है।

सेक्शन—4 के बिन्दु संख्या—3 एवं 4 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उक्त सूचना पंचायत निर्वाचन से संबंधित है पंचायत निर्वाचनों के संचालन एवं सम्पादन का दायित्व राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है जो स्वंतत्र संसदीय संस्था है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या—565 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम—2005 की धारा—6(3) अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को हस्तांतरित किया गया था। इस संबंध में अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के दौरान भी वस्तु स्थिति से सादर अवगत कराया गया।

—2

2– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–इंस्पेशन के बिन्दु संख्या–1 के संदर्भ में अपीलकर्ता के साथ हुए सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट करना है कि इस बिन्दु से संबंधित सूचना उपरोक्तानुसार सेक्शन–4 में समाहित हो चुकी है और अपीलकर्ता द्वारा वेबसाईट से डाउनलोड किए गए एफिडेविडस का निरीक्षण किया जा सकता है। **अपीलकर्ता द्वारा इस भाग के बिन्दु संख्या–2** में पंचायत निर्वाचन से संबंधित एफिडेविडस के निरीक्षण की अपेक्षा की गयी है जिसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धारित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने संख्या–565 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम–2005 की धारा–6(3) अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को हस्तांतरित किया गया था। इस संबंध में अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के दौरान भी वस्तु स्थिति से सादर अवगत कराया गया।

3– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–वोट रिजल्ट के बिन्दु संख्या–1 के क्रम में स्पष्ट करना है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 (**संलग्नक–2**) एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 (**संलग्नक–1**) के संदर्भ में वोटर टर्नआऊट का विधान सभावार एवं जेण्डरवार विवरण निःशुल्क संलग्न है। धर्म एवं जातिवार वोटर एवं वोटर टर्नआऊट का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है जिस कारण इस प्रकार की सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्राप्त मतों के विवरण का जेण्डरवार, आयु, धर्म एवं जातिवार विवरण रखे जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है जिस कारण इस प्रकार की सूचना कार्यालय अभिलेखों में धारित नहीं है। निर्वाचन लड़ने वाले किस अभ्यर्थी को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं इसके संबंध में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार रिजल्ट फार्म–20 विभागीय वेबसाईट ceo.uk.gov.in

RESULTS(FORM 20)
Lok Sabha
Vidhan Sabha

में पीडीएफ में उपलब्ध है जिसे बॉक्स में प्रदर्शित लिंक पर क्लिक कर लोक सभा/विधान सभा के लिए अलग–अलग डाउनलोड कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

इस खण्ड के बिन्दु संख्या–2 में पंचायत निर्वाचन से संबंधित फाइनल वोटिंग रिजल्ट की अपेक्षा की गयी है जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धारित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने संख्या–565 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम–2005 की धारा–6(3) अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को हस्तांतरित किया गया था। इस संबंध में अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के दौरान भी वस्तु स्थिति से सादर अवगत कराया गया।

4– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–वोटर डिलीशन– बिन्दु संख्या–1 में विगत लोक सभा/विधान सभा में निर्वाचक नामावली से डीलिट किए गए नामों तथा बिन्दु संख्या–2 में जेण्डर, आयु, धर्म एवं जाति के आधार पर डीलिट किए गए नामों की सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें डीलिट किए गए निर्वाचकों की कुल संख्या का विवरण ही उपलब्ध कराया जाय चूंकि लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा डीलिट किए गए नामों की सूची उपलब्ध कराए जाने के लिए काफ़ी अधिक शुल्क जमा करने की अपेक्षा की गयी है इसलिए उन्हें केवल संख्यात्मक विवरण की ही आवश्यकता है। अपील की सुनवाई के दौरान अपीकर्ता के साथ सम्यक विचारोपरान्त यह भी सादर अवगत कराया गया कि निर्वाचकों के संबंध में जाति अथवा धर्म

के आधार पर कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में धारित नहीं होती है फलतः उन्हें विगत दस वर्षों में डीलिट किए गए निर्वाचकों की वर्षवार/विधान सभा क्षेत्रवार संख्या की उपलब्ध कराई जा सकती है, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी और तदनुसार वर्ष–2012 से वर्ष 2022 तक वर्षवार डीलिट हुए निर्वाचकों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण **संलग्नक–3** पर निःशुल्क संलग्न प्रस्तुत है। अपीलकर्ता को सादर यह भी अवगत कराना है कि वर्ष–2015 से वर्ष–2022 तक वर्षवार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं मतदेय स्थलवार Deleted Electors List समय–समय पर डीलिट किए गए निर्वाचकों सूची विभागीय वेबसाईट ceo.uk.gov.in में से निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

इस खण्ड के विन्दु संख्या–3 एवं 4 में पंचायत निर्वाचन से संबंधित वोटर डीलिशन की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धारित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–565 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को हस्तांतरित किया गया था। इस संबंध में अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के दौरान भी वस्तु स्थिति से सादर अवगत कराया गया।

5– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–रजिस्टर्ड अनरिकॉगनाईज्ड पोलटीकल पार्टी–बिन्दु संख्या–1 एवं–3 के क्रम में अपीलकर्ता के साथ अपील के दौरान हुए सम्यक् विचारोपरान्त लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यालय अभिलेखों से अपीलकर्ता को लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2009, 2014 एवं 2019 तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, 2017 एवं 2022 **संबंधित** निर्वाचन की विवरणी **(प्रारूप–21ड.)** जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम, दल सहबद्धता तथा प्राप्त मतों का विवरण अंकित रहता है इस आदेश के जारी होने की तिथि से विलम्बत्तम एक सप्ताह अन्दर निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त भाग के बिन्दु संख्या–2 के क्रम में राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सूची **संलग्क–4** के रूप में निःशुल्क संलग्न है।

6– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–डीलिमीटेशन–के बिन्दु संख्या–1 क्रम में अपीलकर्ता के साथ अपील के दौरान हुए सम्यक् विचारोपरान्त के आलोक में राज्य के अन्तर्गत लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में भारत के परिसीमन आयोग की अधिसूचना संख्या–282/यू0टी0ए0/2006 दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 की प्रति **संलग्नक–5** के रूप में निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।

7– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–एंटीसिडेन्ट–के बिन्दु संख्या–1 क्रम में अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के साथ हुए सम्यक् विचारों के आलोक में स्पष्ट करना है कि, मा. उच्चत्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2021 के अनुपालन में निर्वाचनों में क्रिमीनल एंटीसिडेन्ट का प्राविधान वर्ष–2021 से प्रारम्भ हुआ है जिस कारण विगत 2 लोक सभा (अर्थात वर्ष–2014 एवं 2019) में क्रिमीनल एंटीसिडेन्ट का प्राविधान लागू नहीं था फलतः इसके संबंध में विगत दोनों लोक सभा के संदर्भ में कार्यालय अभिलेखों में कोई सूचना धारित नहीं है।

राज्य में वर्ष–2021 के पश्चात वर्ष–2022 में सम्पादित राज्य सभा के निर्वाचन के संबंध में क्रिमीनल एंटीसिडेन्ट से संबंधित सूचना (फार्म–सीए) **संलग्नक–6** के रूप में निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।

8– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–ईवीएम–के बिन्दु संख्या–1 क्रम अवगत कराना है कि राज्य सभा निर्वाचन में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दौरान कुल–89 बीयू, 89 सीयू तथा 619 वीवीपीएटी नॉन–फंक्सनल/डिफैक्टिव पाई गयीं जिन्हें नियमानुसार बदला गया था।

उक्त भाग के बिन्दु–2, 3 के क्रम में स्पष्ट करना है कि ईवीएम से संबंधित आईटी तथा अन्य तकनीकी ऑडिट भारत निर्वाचन आयोग स्तर से नियमानुसार सम्पादित किया जाता है राज्य स्तर पर ईवीएम के आईटी/तकनीकी ऑडिट सम्पादित नहीं किया जाता है। आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी भी सामान्य और उप निर्वाचन से पूर्व राज्य के सभी जनपदों में आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (फस्ट लेवल चैकिंग) की जाती है।

9– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–ऑडिट–के बिन्दु संख्या–1 एवं 2 के क्रम में स्पष्ट करना है कि विधान सभा निर्वाचक नामावली/मतदाता फोटो पहचान पत्र के संचालन, सम्पादन का सम्पूर्ण क्रियान्वयन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर यथा ईआरओ नैट के माध्यम से किया जाता है जिसका सभी तकनीकी/सुरक्षात्मक ऑडिट भी भारत निर्वाचन आयोग स्तर से ही किया जाता है।

10– अपीलीय प्रार्थना पत्र के भाग–**ऑडिट रिपोर्ट/कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट**–के बिन्दु संख्या–1 एवं 2 के क्रम में अवगत कराना है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के द्वारा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक लेखा रिपोर्ट आदि सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाती है और इस प्रकार की सभी सूचना भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट https://eci.gov.in/candidate-political-parties/ पर उपलब्ध है जैसा कि अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के दिन वेबसाईट में सादर शो भी कर दिया गया था जिससे अपीलकर्ता सहमत हैं। आवेदक द्वारा आयोग की वेबसाईट से वांछित सूचना निःशुल्क डाउनलोड कर इसका अवलोकन किया जा सकता है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तथा कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा रिपोर्ट भी विभागीय वेबसाईट ceo.uk.gov.in में उपलब्ध है जैसा की अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वेबसाईट खोलकर दिखाया गया था और अपीलकर्ता इससे सहमत भी हैं। अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित वेबसाईट से उक्त रिपोर्ट को निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः दिनांक 10 मई, 2023 को अपीलकर्ता की अपील पर नियमानुसार सुनवाई के दौरान सम्यक् विचारोपरान्त तथा कार्यालय अभिलेखों/विभागीय वेबसाईट में धारित सूचना के आधार पर उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रथम अपीलीय अधिकारी।

क्रमशः.. 5

पृ0संख्या— 903 /XXV—12(13)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— 1— लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के बिन्दु संख्या—5 के क्रम में सूचना इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक सप्ताह अन्दर अपीलकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2— Shri Samir Sardana, D-13, [Sector 4] Defence Colony, Dehradun] Uttarakhand उक्त आदेश की प्रति (वर्णित सूचनाओं की प्रति सहित) सादर प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी अपने प्रार्थना पत्र में पंचायत निर्वाचन से संबंधित सूचनाओं के संदर्भ में कृपया लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास रोड़ जोगीवाला देहरादून के कार्यालय में अनुरोध पत्र/अपील प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3— लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास रोड़ जोगीवाला, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रथम अपीलीय अधिकारी।

पंजीकृत

Email ID blockdugadda@gmail.com phone no.01382251230

संलग्नक 5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता
लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी दुगड्डा गढ़वाल।

पत्रावली संख्या 74 दिनांक 25-4-2023

विषय :- अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

श्री समीर सरदाना
डी–113, सेक्टर 4
डिफेन्स कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड

कृपया अपने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का अनुरोध पत्र दिनांक 11.04.2023 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 19.04.2022 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई E section 4 (point 3,4), inspection (point 02), vote results (point 02) की सूचना की छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रु0–22860 (बायाईस हजार आठ सौ साठ रु0 मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क0सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर प्रति पृष्ठ	कुल धनराशि
1–	छाया प्रतियो पर व्यय	2–00 (11430 प्रति)	22860–00

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक,जो विभाग के विभागीय के नाम बना हो प्रेषित करें/ अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

लोक सूचना अधिकारी/
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड दुगड्डा।

कार्यालय – खण्ड विकास अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी जौनपुर टिहरी गढवाल।

पत्रांक– /117 / स्था0प्र0 / सूचना का अधिकार / 2023–24 दिनांक– 24 अप्रैल 2023

1– सहायक लोक सूचना अधिकारी /
सहायक विकास अधिकारी पंचायत
विकास खण्ड जौनपुर टिहरी गढवाल।

विषय – सूचना का अधिकार 2005 की धारा– 6 (3) के अन्तर्गत सूचना का अन्तरण।

कृपया संलग्न पत्र श्री समीर सरदाना, डी0–113 सैक्टर–04, डिफेन्स कलोनी देहरादून का सूचना का अधिकार का शिकायती पत्र प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानी चुनाववालय टिहरी गढवाल के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमे निर्वाचन से सम्बन्धी सूचना चाही गयी है। सलग्न पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से अन्तरण की जा रही है। कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित को सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

अतः आपको सलग्न पत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि सूचना का अधिकार के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना सम्बन्धित को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

संलग्न– शिकायतकर्ता के प्रार्थना–पत्र की छायाप्रति।

(विरेन्द्र सिंह कठैत)
लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
जौनपुर टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि–
1– श्री समीर सरदाना, डी0–113 सैक्टर–04, डिफेन्स कलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानी चुनाववालय टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
जौनपुर टिहरी गढवाल।

।। कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी,द्वारीखाल गढवाल।।

पत्रांक 70 / 1—लो0सू0 / 2022—23 / दिनांक 21 अप्रैल 2023

श्री जयदीप सिंह रावत,

सहायक विकास अधिकारी(पं0)

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,पंचास्थानि चुनावालय पौडी गढवा के पत्र संख्या 10 / सू0का0अ0 / 2005 / 2023—24 / दिनांक 19 अप्रैल 2023 एवं रा निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 39 / सू0का0अ0 / 3030 / 2021 दिनांक 18 अप्रैल 20 के द्वारा श्री समीर सरदाना डी—113 सैक्टर 04,डिफेंन्स कालोनी देहरादून का अनुरो पत्र इस कार्यालय को अन्तरण किया गया है अनुरोध पत्रानुसार त्रिस्तरीय पंचाय सामान्य निर्वाचन—2019 से सम्बन्धित निर्वाचन में समस्त पदो के उम्मीदवारों है,त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित(प्रधान ग्राम पंचायत,सदस्य ग्रा पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत) के समस्त अभिलेख जो आपके पटल / उपक्रम सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध कर्ता के विन्दु सख्यां 03 एवं 04 (सैक्शन—4)विन्दु सख 02(इंसपेक्शन)विन्दु संख्या 02 वोटर रिर्जल्ट,विन्दु संख्या 03 एवं 04 (वोटर डिर्गीलीश की सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध कराये ताकि अनुरोधकर्ता को समयान्तर्गत सूच उपलब्ध करायी जा सके। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचास्थानि चुनावाल पौडी गढवाल एवं अनुरोध कर्ता श्री समीर सरदाना का अनुरोध पत्र संलग्न किया रहा है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को भी प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—उक्तानुसार

(जे0एस0विष्ट)
लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी,
द्वारीखाल गढवाल।

प्रतिलिपिः

1— श्री समीर सरदाना,डी—113,सैक्टर—04,डिफेंस कालोनी,देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी,
द्वारीखाल गढवाल।

सूचना का अधिकार

Telephone 01372-253469
Email-electionpanchayatchamoli@gmail.com

संलग्नक–5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय चमोली।

संख्याः 12 / 21–12 / सू0अ0अधि0 / 2005 दिनांक 25 अप्रैल, 2023

श्री समीर सरदाना,
डी0–113, सेक्टर–4,
डिफेंस कॉलोनी देहरादून।

विषयः **अतिरिक्त शुल्क जमा करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड–देहरादून के पत्रांक–39 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03.04.2023 जो इस कार्यालय को दिनांक 18.04.2023 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा चाही गई कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचना सामग्री एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0 730.00(रू0 सात सौ तीस) मात्र अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र0सं0	विषय वस्तु	पृष्ठों की संख्या	दर	कुल धनराशि
01	**Section 4** बिन्दु संख्या–03 व 04 **Inspection** बिन्दु संख्या–02	364	2.00	728.00
02	**Voter Deletions** बिन्दु संख्या–03 व 04	01	2.00	2.00
		योग–365		730.00
03	**Voter results** बिन्दु संख्या–02	सूचना राज्य निर्वाचन आयोग की बेवसाईट **www.secresult.gov.in** पर देखी जा सकती है।		

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो विभाग के सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम बना हो प्रेषित करें/अथवा कार्यालय में नगद जमा करें/करवा दें। मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही ,उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा।

25.4.2023
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय
चमोली।

विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता–
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय चमोली।
ई–मेल dm-cha-ua@nic.in
दूरभाष–01372–252102

पंजीकृत डाक
/ स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

दूरभाष—05962—232828, 232633

ई—मेल—adeopael.alm@gmail.com

सहायक लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा

पत्र सं0—23 / पं0चु0—सू0का0अ0 / अन्तरित / 2023—24 दिनांक 24 / 04 / 2023

सेवा में,

समस्त खण्ड विकास अधिकारी /
लोक सूचना अधिकारी
जनपद—अल्मोड़ा।

विषयः— सूचना के अधिकार के अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0—39 / सू0का0अ0 / 3050 / 2021 दिनॉक—18 अप्रैल, 2023 के साथ संलग्न Samir Sardana, D-113 Sector-4, Defence Colony, Dehradun पत्र सं0—565, दिनांक—11.04.2023 द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र सूचना के अधिकार के तहत धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आशय से प्रेषित किया गया है, कि अनुरोधकर्ता को सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराये।

अतः अनुरोध पत्र के क्रम में पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप अनुरोधकर्ता को पंचायत निर्वाचन—2019 से सम्बन्धी सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा—6 (3) के अन्तर्गत यथासमय उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न—उक्तानुसार (पृष्ठ—6)।

भवदीय,

सहायक लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपिः—1—Samir Sardana, D-113 Sector-4, Defence Colony, Dehradun को सूचनार्थ प्रेषित।

2—लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड—देहरादून के पत्रांक—39 / सू0का0अ0 / 3050 / 2021 दिनॉक—18 अप्रैल, 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

24-04-24

सहायक लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा।

पंजीकृत

प्रारूप – 7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी, यमकेश्वर गढवाल।

पत्रांक 60 / सू0का0अधिकार–पत्रावली सं0 (617) / 2023–24 दिनांक अप्रैल 20 2023

सहा0 लोक सूचना अधिकारी /
सहायक विकास अधिकारी (पं0)
विकास खण्ड यमकेश्वर गढवाल।

अनुरोधकर्ता श्री समीर सरदाना डी–113, सेक्टर 4 डिफेन्स कॉलोनी देहरादून के सूचना का अधिकार– 2005 के अर्न्तगत सूचना अनुरोध पत्र जो कि कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं स्था0नि0) पौडी गढवाल के कार्यालय पत्र संख्या 10 / सू0काआ0–2005 / 2023–24 दिनांक 19 अप्रैल 2023 के द्वारा अन्तरित किया गया है जो कि इस कार्यालय मे दिनांक 19 / 04 / 2023 को प्राप्त हुआ है। आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा पत्र में उल्लिखित / चाही गयी निम्न बिंदुओं की सूचना आपके विभाग / उपक्रम से सम्बन्धित है।

विषय वस्तु	सूचना का विवरण
Section 4	बिंदु संख्या –03 एवं 04
Inspection	बिंदु संख्या– 02
Voter Results	बिंदु संख्या –02
Voter Deletions	बिंदु संख्या– 03 एवं 04

अतः आप उक्त सूचना समयान्तर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विलम्ब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– सूचना के अनुरोधपत्र की मूलप्रति

लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
यमकेश्वर गढवाल।

प्रतिलिपिः–

1. श्री समीर सरदाना डी–113, सेक्टर 4 डिफेन्स कॉलोनी देहरादून को उनके अनुरोध पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं स्था0नि0) पौडी गढवाल की सेवा में सादर सूचनार्थ।

20/04/2023

लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी,
यमकेश्वर गढवाल।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड, देहरादून— 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135)— 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724.

संख्या— 573/xxv— 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 13 अप्रैल, 2022

अतिरिक्त शुल्कः के लिए सूचना का प्रपत्र

सेवा में,

Shri Samir Sardana,
D-113, Sector 4,
Defence Colony, Dehradun ,

विषय— अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 3.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गयी सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रू0 244.00(रू0 दो सौ चवालीस) अतिरिक्त शुल्क देय होता हैं

विषय वस्तु	बिन्दु संख्या	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
Vote results	बिन्दु संख्या—1	सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है।		
Registered Unrecognised political Parties	बिन्दु संख्या—2	106	रू0 2.00 प्रति पेज	212
Delimitation	बिन्दु संख्या—1	9	रू0 2.00 प्रति पेज	18
EVM	बिन्दु संख्या—1	7	रू0 2.00 प्रति पेज	14

अतः उक्त धनराशि की यथाशीघ्र पोस्टल आर्डर अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करें।

मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

भवदीय,

BS Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

संशोधित

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या– 565 / XXV– 53(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक 11 अप्रैल, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

1. केन्द्रीय लोक सूचना अधि0 / प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली। /
2. समस्त लोक सूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।
3. लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास लाडपुर रोड़, देहरादून।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Samir Sardana D-113, Sector 4, Defence Colony, Dehradun का अनुरोध पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 05.04.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है जिसमें निम्नानुसार सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है:-

विभाग का नाम जिन्हें सूचना हस्तान्तरित की जा रही है।	विषय वस्तु	सूचना का विवरण
लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग लाडपुर देहरादून	Section 4	बिन्दु संख्या–3 एवं 4
	Inspection	बिन्दु संख्या–2
	Vote results	बिन्दु संख्या–2
	Voter Deletions	बिन्दु संख्या–3 एवं 4
समस्त लोक सूचना अधिकारी / सहा0 जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।	Section 4	बिन्दु संख्या–1 एवं 2
	Registered Unrecognised political Parties	बिन्दु संख्या–1 एवं 3
	Antecedents	बिन्दु संख्या–1
	EVM	बिन्दु संख्या–3
	Audit	बिन्दु संख्या–1 एवं 2
केन्द्रीय लो0सू0अधि0 / प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली।	EVM	बिन्दु संख्या–2
	Audit Reports	बिन्दु संख्या–1
	Contribution Reports	बिन्दु संख्या–1

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या– 565 / XXV– 53(P-14) / 2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि– Samir Sardana D-13, Sector 4, Defence Colony, Dehradun को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पत्रवाहक / पंजीकृत

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 39 / सू0का0अ0 / 3050 / 2021 दिनांक 19 अप्रैल, 2023

<u>सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण</u>

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

अवगत कराना है कि लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–565 दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से प्रेषित Samir Sardana, D-113 Sector-4, Defense Colony, Dehradun का अनुरोध–पत्र राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 17.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी निम्नानुसार सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है:–

विषय वस्तु	सूचना का विवरण
Section 4	बिन्दु संख्या– 03 एवं 04
Inspection	बिन्दु संख्या– 02
Voter results	बिन्दु संख्या– 02
Voter Deletions	बिन्दु संख्या– 03 एवं 04

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी उपरोक्तानुसार सूचनाएं आपके कार्यालय से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से अंतरित की जा रही हैं कि अनुरोध–पत्र में उपरोक्त तॉलिका में वर्णित वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

<u>संख्या– 39 / सू0का0अ0 / 3050 / 2021 तद्‌दिनांक। (पंजीकृत)</u>

<u>प्रतिलिपि:–</u> Samir Sardana, D-113 Sector-4, Defense Colony, Dehradun को सूचनार्थ।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION
कार्यालय : जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
कचहरी परिसर, देहरादून–248001
Tel-0135 2624216 e-mail-dmcumdeoddn1@gmail.com

संख्याः– 429 /25-10/2023 दिनांक 18 / 04 / 2023

पंजीकृत

सेवा में,

Mr. Samir Sardana
D-113, Sector 4, Defence Colony,
Dehradun-248001

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना–अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–565 दिनांक 11.04.2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनाक शून्य जो इस कार्यालय में दिनांक 11.04.2023 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नवत् है–

दी जाने वाली सूचना का विवरण	कुल पृष्ठ	दर	कुल धनराशि
Section-4- बिन्दु संख्या–1 व 2 Antecedents- बिन्दु संख्या–1	573 पृष्ठ	₹ 02.00 प्रति पृष्ठ	1146.00
Registered Unrecognised Political Parties- बिन्दु संख्या–1 व 3	601 पृष्ठ	₹ 02.00 प्रति पृष्ठ	1202.00
योग–	1174	₹ 02.00 प्रति पृष्ठ	2348.00
EVM- बिन्दु संख्या–3	विगत 5 वर्षो में कोई ऑडिट नही हुआ।		
AUDIT- बिन्दु संख्या–1 व 2	विगत 5 वर्षो में कोई ऑडिट नही हुआ।		

उक्त से संबंधित सूचना के कुल 1174 पृष्ठ धारित है, जिन्हे उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार ₹ 02.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल ₹ 2348.00 (₹ दो हजार तीन सौ अड़तालीस) मात्र का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

इसके अतिरिक्त आप उक्त से संबंधित सूचना CEO की वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in पर निःशुल्क देख व प्राप्त कर सकते है।

उक्त धनराशि को बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक, जो विभाग के आहरण वितरण अधिकारी (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून) के नाम देय हो अथवा उक्त अतिरिक्त शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के माध्यम से भी संदाय किया जा सकता है।

अतः मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता– उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

18/4/23

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

संलग्नक 5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल।

संख्या:– 03 / प0चु0 / सू0का अधि0 / 2022, दिनांक 20 अप्रैल, 2023

सेवा में,

श्री समीर सरदाना,
डी 113 सेक्टर 4
डिफेन्स कॉलोनी,
देहरादून

विषय:– अतिरिक्त शुल्क जमा करने के संबंध में।

कृपया अपने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–39 / सू0का अधि0 / 3050 / 2021 दिनांक 18 अप्रैल 2023 के द्वारा हस्तान्तरण होकर दिनांक 19.04.2023 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आपके द्वारा चाही गयी सूचना Section 4 बिन्दु संख्या 03 एवं 04 (सदस्य जिला पंचायत) को एकत्रित करने और इच्छित रूप से उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रु0 7200.00 (रु0 सात हजार दो सौ मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र0सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
1	3600 पृष्ठ	रु0 2.00 प्रति पृष्ठ	7200.00

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो प्रभारी अधिकारी पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल के नाम बना हो प्रेषित करें / अथवा कार्यालय में नकद जमा करवा दें।

मांगी गयी सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

20-4-2023

प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी,
प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:–

1. सहायक आयुक्त / लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को पत्र संख्या–39, दिनांक 18.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ।

प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी गढ़वाल।

निर्वाचन सचिवालय

संलग्नक–7

सूचना का अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

कार्यालय प्रभारी अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी (पं / स्था0नि0), टिहरी गढ़वाल।

संख्याः– 04 / पं0चु0 / सू0का0अधि0–2005 / 2023–24, दिनांक 20 अप्रैल, 2023

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /
समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषयः– सूचना का अधिकार–**2005** के अन्तर्गत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य आयोग के पत्र संख्या–39 / सू0का अधि0 / 3050 / 2021 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री समीर सरदाना, डी–113, सेक्टर–4, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून का अनुरोध पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें मांगी गयी सूचना त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 से सम्बन्धित निर्वाचन में समस्त पदों के उम्मीदवारों से है, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित **(प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत)** के समस्त अभिलेख विकास खण्डों में ही सुरक्षित रखे गये हैं। उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना निम्नानुसार आपके कार्यालय / विभाग से सम्बन्धित है.–

विषय वस्तु	सूचना का विवरण
Section 4	बिन्दु संख्या–03 एवं 04
Inspection	बिन्दु संख्या–02
Voter Results	बिन्दु संख्या–2
Voter Deletions	बिन्दु संख्या–03 एवं 04

अतः अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सहायक आयुक्त / लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून को पत्र संख्या–39, दिनांक 18.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल।
3. श्री समीर सरदाना, डी–113, सेक्टर–4, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

20-4-2023

प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी गढ़वाल।